उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-34/2021/2428/92-2-21-60एम/2020
लखनऊ:: दिनांक 30 जुलाई, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-झॉसी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा विधायक निधि योजनान्तर्गत नगर पंचायत मोठ के चौपडा तालाब की खुदाई/सौन्दर्यीकरण कार्य की बिना उच्चाधिकारियों की अनुमति/प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किये ही अनियमित रूप से अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करने, प्रथम बार में अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रित न किये जाने का कोई प्राविधान न होने पर भी निविदा निरस्त किये जाने के कारण विषम स्थिति उत्पन्न होने तथा विभाग की छवि धूमिल किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-474प्र0स0/92-2-20-60एम/2020 दिनांक 29-09-2020 द्वारा श्री राजित राम, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ मुख्य अभियंता(प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री राजित राम, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झॉसी जो अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31-01-2021 को सेवानिवृत्त हो गये है के दृष्टिगत उनके विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-14/2021/55प्र0स0/92-2-21-60एम/2020 दिनांक 10-02-2021 द्वारा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए में परिवर्तित किया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्ध अधिरोपित कुल-3 आरोप, अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, जिलाधिकारी, जनपद-झॉसी की आख्या व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि अपचारी अधिकारी, श्री राजित राम के विरूद्ध कुल 03 आरोपों को जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में प्रमाणित होना नहीं पाया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में कोई शासकीय क्षति निहित होना नही पाया गया है। अत: श्री राजित राम, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अ0वि0, प्रखण्ड-झॉसी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-14/2021/55प्र0स0/92-2-21-60एम/2020 दिनांक 10-02-2021 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को जॉच अधिकारी की जॉच आख्या के आधार पर बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-34/2021/2428(1)/92-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री राजित राम, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रा0अभि0विभाग, प्रखण्ड-झॉसी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।